



उत्तर प्रदेश शासन
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग
संख्या-128/आई/1327542/2026/89-1099/310/2023
लखनऊ: दिनांक: 14 मई, 2026

कार्यालय आदेश

शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 यथा संशोधित शासनादेश सं0-08/2015-वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0-1, दिनांक 03-03-2015 एवं शासनादेश दिनांक 26-08-2015 में राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के संबंध में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 30-04-2026 को सम्पन्न बैठक में की गयी संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित विवरणानुसार उ0प्र0 राज्य प्रशिक्षण सेवा सम्वर्ग के अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्थान्तर्गत तृतीय ए0सी0पी0 का लाभ उनके नाम के सम्मुख कालम-6 में उल्लिखित तिथि से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं पद नाम	प्रधानाचार्य श्रेणी-2 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि	प्रधानाचार्य श्रेणी-1 के पद पर पदोन्नति की तिथि	16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त द्वितीय ए0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 7600 की स्वीकृति का दिनांक	26 वर्ष की सेवा पर तृतीय ए0सी0पी0 के अन्तर्गत ग्रेड वेतन रु0 8700/- की अनुमन्यता का दिनांक
1	श्री राजेश राम, संयुक्त निदेशक (सम्प्रति सेवानिवृत्त)	07.08.1999	03.09.2007	07.08.2015	07.08.2025
2	श्री सुरेन्द्र नाथ राम, संयुक्त निदेशक	20.07.1999	25.04.2006	20.07.2015	20.07.2025
3	श्री दीपक कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक	27.01.2000	02.05.2013	27.01.2016	27.01.2026
4	श्री कृष्ण मोहन सिंह, संयुक्त निदेशक	11.01.2000	22.07.2013	11.01.2016	11.01.2026
5	श्री अरूण कुमार राणा, संयुक्त निदेशक	30.07.1999	19.12.2006	30.07.2015	30.07.2025
6	श्री ऋषिकांत मिश्रा, संयुक्त निदेशक	12.01.2000	15.05.2013	12.01.2016	12.01.2026
7	श्री आशीष दुबे, संयुक्त निदेशक	11.01.2000	22.07.2013	11.01.2016	11.01.2026

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

8	श्री राधा कृष्ण, संयुक्त निदेशक	15.03.2000	30.09.2013	15.03.2016	15.03.2026
9	श्री राम राज यादव, संयुक्त निदेशक	28.04.2000	22.07.2013	28.04.2016	28.04.2026

मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, उ०प्र०।
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, उ०प्र० शासन।
5. संबंधित कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11, उ०प्र० शासन।
7. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रखे जाने हेतु (नाम से)।
8. संबंधित अधिकारी (नाम से)।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज वर्मा
संयुक्त सचिव।